

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशास्त्रा)

दिनांक 18.01.2016 को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

क्र.	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	<p>एम०जे०सी० हरदेव यादव बनाम राज्य के संबंध में गत बैठक में प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा को इस मामले में कारणपूर्वक दाखिल होने तक विभाग से समन्वय दनाये रखने का निर्देश दिया गया था। सूचित किया गया कि उक्त मामले में विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है और अब विभाग के माध्यम से प्रतिशपथ पत्र दाखिल होना है।</p> <p>एम०जे०सी० चौधरी नरेशचन्द्र राय बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बैनीपुर से संबंधित है। यह मामला भूमि अतिकरण का है। अनुमंडल पदाधिकारी, बैनीपुर एवं अंचलाधिकारी, बैनीपुर आपस में समन्वय कर अतिकरण हटाने की कार्रवाई करें। तदनुसार स्मार भेजने का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० अशोक कुमार मिश्र बनाम राज्य का मामला भू-अर्जन से संबंधित है। यह मामला रसियारी पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन के मुआवजा भुगतान से संबंधित है। माननीय न्यायालय द्वारा ६ सप्ताह के अन्दर मुआवजा भुगतान का निर्देश है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस सप्ताह में मुआवजा भुगतान कर दिया जाएगा। तदनुसार वे अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।</p> <p>एम०जे०सी० मनहर गोपाल बनाम राज्य का मामला अतिकरण से संबंधित है। इसका मामला समाहर्ता न्यायालय में बल रहा है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में वाद से सम्बन्धित कागजात जमा हैं। इस सम्बन्ध में वांछित अग्रेतर कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>एम०जे०सी० विद्यावती सिन्हा बनाम राज्य का मामला सिविल सर्जन, दरभंगा से संबंधित है। इसमें कारणपूर्वक दायर किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस मामले में पूरक कारणपूर्वक दाखिल किया जा चुका है। वे प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा को ओथ नम्बर उपलब्ध कराएँगे।</p> <p>एम०जे०सी० प्रभास कुमार बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा से संबंधित है। इस मामले में अंचलाधिकारी द्वारा अतिकरण हटाने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी, परन्तु निर्धारित तिथि को पुलिस बल नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण अतिकरण नहीं हटाया जा सका। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा आपस में समन्वय कर उपरोक्त अतिकरण को हटाकर कारणपूर्वक दाखिल करना सुनिश्चित करें।</p> <p>एम०जे०सी० गणेश दास बनाम राज्य का मामला जिला सामान्य शाखा से संबंधित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा द्वारा बताया गया कि इस मामले में राशि के भुगतान के लिए विभाग से राशि की मॉग की गयी है। राशि प्राप्त होते ही भुगतान करते हुए कारणपूर्वक दाखिल करने की कार्रवाई की जायेगी।</p>	<p>प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा/अनुमंडल पदाधिकारी, बैनीपुर/अंचलाधिकारी, बैनीपुर/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/अंचलाधिकारी, सिंहवाड़ा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा।</p>
2.	दिनांक 27.01.2016 को 11.00 बजे दिन में समाहरणालय सभागार में माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की जायेगी। 22 विभागों से गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन की मॉग की गयी थी, जिसमें से सिविल सर्जन, दरभंगा/कार्यपालक अधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-१, जिला योजना पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं बिरौल, अपर समाहर्ता, दरभंगा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, सदर से अनुपालन प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है। उपरोक्त पदाधिकारियों एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी सदर प्रखंड को आज सध्या तक अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।	संबंधित पदाधिकारी
3.	आर०टी०पी०एस० काउन्टरों पर लगातार छापामारी करने एवं इसका विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।	सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी

Chm

4. राज्यपाना उप समाहिता, दरभंगा द्वारा बताया गया कि परिसमर्पित की विवरणी समर्पित करने के लिए सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों वी सूची की ओग की गयी थी। अभी तक 125 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा सूची समर्पित नहीं की गई है, जिसमें पशुपालन, स्वास्थ्य, ट्यूबल डिविजन, कोशी, निबंधन, शिक्षा विभागों से तथा विरोल अनुमंडल के बाल विकास परियोजना कार्यालयों, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर हायाघाट, बहादुरपुर एवं तारडीह आदि है। संबंधित पदाधिकारियों एवं संबंधित प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को आज सध्या तक उपरोक्त सूची समर्पित करने का निदेश दिया गया अन्यथा माह जनवरी 2016 के बेतन वी निकासी पर रोक लगाने हेतु वरीय कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को निदेशित किया जायेगा।	संबंधित विभागों के प्रभारी पदाधिकारी
5. अप्रैल-2016 से पूरे राज्य में पूर्ण नशाखंडी लागू की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से दिनांक 21.01.2016 को 02.00 बजे दिन से एन०आई०सी के माध्यम से डी०एम०सी०एच० ऑडिटोरियम में कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अचल अधिकारी/थाना प्रभारी/महिला सामर्थ्या/जिविका/त्रि-स्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि खासकर महिला प्रतिनिधि/महिला विकास मित्र/आशा/साक्षरता कार्यकर्ता/ज०विप्र० की महिला विक्रेता के साथ-साथ जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को भाग लेना है। उत्पाद अधीक्षक, दरभंगा को इसके लिए आवश्यक समन्वय करने का निदेश दिया गया। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, दरभंगा को डी०एम०सी०एच० ऑडिटोरियम में आवश्यक व्यवस्था दिनांक 20.01.2016 को ही कर लेने का निदेश दिया गया। नजारत उप समाहिता, दरभंगा को पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने तथा शिक्षा विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को कार्यक्रम स्थल पर कला, जत्था भेजने का निदेश दिया गया, जो दिन के 12.00 बजे से कार्यक्रम स्थल पर नशामुक्ति से संबंधित अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी को उक्त कार्यक्रम में भाग लेने का निदेश दिया गया।	नजारत उप समाहिता/अधीक्षक, उत्पाद/ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, दरभंगा/ जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी/ अधीक्षक, डी०एम०सी०एच०
नशाखों के लिए डी०एम०सी०एच० में 50 शीयथा वाला डि-एडिक्शन सेन्टर खोलना है, जिसकी साज सज्जा के लिए सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी। तत्काल 10 शीयथा वाले डि-एडिक्शन सेन्टर के संचालन हेतु जगह चिन्हित कर आज ही प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश अधीक्षक, डी०एम०सी०एच०, दरभंगा को दिया गया।	
सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय में अधीनस्थों के बीच नशामुक्ति से संबंधित संकल्प लेना है। संकल्प की प्रति सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी।	
जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सभी विद्यालयों में उपरोक्त संकल्प की प्रति उपलब्ध करावे, जो छात्रों के माध्यम से उनके अभिभावक तक जायेंगे एवं इस पर उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर पुनः विद्यालय में जमा कराया जायेगा एवं वहाँ से समेकित कर इसे उपलब्ध कराया जाय।	
6. दरभंगा शहरी क्षेत्र के बाड़ नम्बर 7 अन्तर्गत मध्य विद्यालय रामचौक में मध्याहन भोजन योजना नहीं चलने की सूचना प्राप्त हुई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना उपरोक्त सूचना का सत्यापन करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना
7. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटनियों का भवन निर्माण कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वहाँ कम जमीन उपलब्ध रहने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं कराया जा सका है। उन्हें निदेशित किया गया कि संबंधित अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से सहयोग लेकर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग
8. इ-किसान भवन घनश्यामपुर एवं कु०स्थान को पुरी गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, स्था०क्षे०अभि० संगठन, दरभंगा-1 को दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, स्था०क्षे०अभि० संगठन, दरभंगा-1
9. अति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कशी में सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। कार्यपालक अभियंता, स्था०क्षे०अभि० संगठन, दरभंगा-1 को निदेशित किया गया कि वे आज ही इस भवन को स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।	कार्यपालक अभियंता, स्था०क्षे०अभि० संगठन, दरभंगा-1

10. उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष भी दिनांक 25.01.2016 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जायेगा। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थों से शपथ दिलवाना है। जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को निवेशित किया गया कि उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र की प्रति से अपने अधीनस्थों के बीच दिनांक 25.01.2016 को 12.00–01.00 बजे दिन के बीच शपथ दिलवाते हुए उसकी फोटोग्राफी करावे एवं उक्त फोटोग्राफ को उसी दिन 01.30 बजे दिन तक मोबाइल संख्या 9934067159 पर Whatsapp के माध्यम से भेजे। सभी पदाधिकारी इस आशय का नोटिश अपने अधीनस्थ कर्मियों को निर्गत करें एवं उक्त नोटिश की एक प्रति भी निर्वाचन कार्यालयों को उपलब्ध करावे।	संबंधित पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी
11. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निवेशित किया गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिनांक 25.01.2016 को विद्यालयों में प्रभात फेरी, पेटिंग, स्लोगन, घाद-विघाद प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर उसकी फोटोग्राफी कराते हुए उक्त मोबाइल नम्बर पर Whatsapp के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	
11. डी०एम०सी०एच० के शीशु विभाग में बन रहे भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यपालक अभियंता, स्थाप्तोअभियो सगठन, दरमंगा-१ द्वारा बताया गया कि इस भवन में विजली के कार्य हेतु 2.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, दरमंगा द्वारा विद्युत कार्य हेतु लगभग 6.00 लाख रुपये का प्रावक्कलन समर्पित किया गया है। कार्यपालक अभियंता को निवेश दिया गया कि वे पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी, दरमंगा की ओर से स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध पत्र भेजें।	कार्यपालक स्थाप्तोअभियो दरमंगा-१

४०८
जिलाधिकारी,
दरमंगा।

ज्ञाप संख्या १८५ / सी०, लहरियासराय, दिनांक १८ जनवरी, २०१६।

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरमंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरमंगा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरमंगा।